Statement

Details of Complaints Received in Respect of Type-II Quarters at Laxmibai Nagar During 1996-97

SI. No.	Qtr. No where received	from : mplaint	Date of receipt complaint in service centre.	of Authority to whom complained	Nature of Complaints
1.	1380		26.6.96	CE(NDZ-III)	Repair of roof
2.	1955-	-	6.7.96	Sh. Sukhdev Paswan	Tree on back wall
3.	85		12.8.96	SE, DCC-VII	Plaster repair door repair
4.	1055		2.9.96	SE, DCC-VII	Roof repair & replacement of verandah window.
5.	1950		17.10.96	Dy. Speaker Lok Sabha	Replacement of Window
6.	1516		16.12.96	DG(W)	Roof repair, Door/window replacement.

हुडको पैटर्न 1979 के अंतर्गत जनता फ़्लैटों का पजिकरण कराने वाले व्यक्तियों को राशि लौटाया जाना

4403. **श्रीमती मालती शर्माः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हुडको पैटर्न स्कीम 1979 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों का जनता फ्लेट के लिए पंजीकरण किया गया था;

(ख) कितने व्यक्तियों ने जनता फ्लेट लेने से मना कर दिया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजीकरण के समय जमा की गई रकम ऐसे व्यक्तियों को लौटा दी गई है या लौटायी जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) रकम लौटाने की कोई प्रक्रिया, यदि है, तो वह क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेश्वरलू): (क) हुडको पैटर्न स्कीम- 1979 के तहत जनता फ्लेटों के लिए 56,249 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि जिन व्यक्तियों ने जनता फ्लेट लेने से इंकारा किया अथवा अवंटन की शर्तों तथा निबंधनों का अनुपालन न करने के कारण जिनका आवंटन रद्द कर दिया गया, उनके बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र, जमा रसीद, बैंक चालान इत्यादि जैसे वैध दस्तावेज दिखाने पर निरस्तीकरण प्रभार काटते हुए उनकी जो भी जमाराशि थी, वह लौटा दी गई थी।

(ड.) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश तथा जमाराशि वापसी आदेश जारी होने के बाद, फाइल लेखा विभाग को जमा-राशि वापस करने के लिए भेजी जाती है। लेखा विभाग में अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण राशि तथा उस पर बनी ब्याज की कुल रकम में से, नियमानुसार निरस्तीकरण का प्रभार काटकर, शेष राशि का बिल पास होता है। उसके बाद फाइल चैक तैयार करने के लिए लेखा अधिकारी (नकदी) को भेजी जाती है। ये चैक आवेदक को उनके द्वारा दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जाता है।